भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2188

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया

2188 श्री अनिल देसाई:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उच्च / निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों के कुल कितने पद रिक्त हैं, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार और न्यायाधीश इस चयन प्रक्रिया से संतुष्ट हैं; और

(घ) क्या चयन संबंधी मानदंड पर फिर से विचार करने की कोई मांग उठी है/आवश्यकता उत्पन्न हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कुल रिक्त पद संख्या निम्नानुसार है :--

न्यायालय	वर्ष 2018 से 2022 के दौरान न्यायाधीशों /न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पद				
	2018 (01.01.2018) तक	2019 (01.01.2019) तक	2020 (01.01.2020) तक	2021 (01.01.2021)तक	2022 (01.08.2022) तक
उच्चतम न्यायालय	04	01	04	01	03
उच्च न्यायालय	398	392	401	411	380
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	5925	5647	5208	4929	5345

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है । उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उसके 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय (दूसरा न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में, 1998 में बनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह रिक्ति होने के छह माह पूर्व उच्च न्यायालय की रिक्ति को भरने के लिए प्रस्ताव आरंभ करे ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारें, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण, सेवानिवृत्ति के मामलों से संबंधित नियम और विनियम विरचित करती है । अत:, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्यों में यह संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय करते हैं ।

(ग) और (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली बदलने तथा इसे और अधिक व्यापक एवं पारदर्शी बनाने के लिए, सरकार, संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को, 13.04.2015 से प्रवर्तन मे लाई । तथापि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.10.2015 को दिए गए निर्णय में दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया । संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवर्तन से पूर्व यथा विद्यमान कोलेजियम प्रणाली को प्रवृत्त घोषित किया गया था ।

संविधान के अधीन संघ सरकार की जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने, मलिक मजहर सुल्तान मामले में 4 जनवरी, 2007 के अपने आदेश में, अधीनस्थ न्यायापालिका की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा प्रकल्पित की है, जो यह नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष की 31 मार्च से प्रारंभ होगी और उसी वर्ष की 31 अक्तूबर तक समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु स्थितियों या अन्य सुसंगत स्थितियों के आधार पर किन्हीं कठिनाइयों की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है ।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए मलिक मजहर के निर्णय की एक प्रति भेजी थी । न्याय विभाग सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्ति को भरने में मलिक मजहर सुल्तान मामले द्वारा आज्ञापित तेजी लाने के लिए समय समय पर लिखता रहता है ।

****